

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्रकरण 74/20 ता० रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-2020

सरकार

बनाम

अक्षय-परसराह पुत्रात सुरवा ब्राम्हण तह० बयाना जिला-भरतपुर।

ब्राम्हण

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का ब्राम्हण ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम ब्राम्हण के खसरा न० 398 रकबा 0.15 हैक्ट में से रकबा 0.08 हैक्ट किरम भूमि खसरा न० 2076 में श्री अक्षय-परसराह पुत्रात सुरवा ब्राम्हण तह० बयाना ने कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमण आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमण खसरा नम्बर 398 रकबा 0.08 हैक्ट वाले ग्राम ब्राम्हण से बेदखल किया जाता है। लगान 1.28 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 64/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अक्षय-परसराह का नाम
ब. के. नं. 20 के पत्र 16
दिनांक 5/2/20
पैनल्टी 64/-
ब्राम्हण तहसील
भरतपुर जिला

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

